छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा प्रथम सत्र अंक-03

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023

(अग्रहायण 30, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री लीलाराम भोजवानी, अविभाजित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री तथा छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य एवं डॉ. रामलाल भारद्वाज, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये ।

मुख्यमंत्री, श्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष, डॉ. चरण दास महंत, माननीय सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, पुन्नूलाल मोहले ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये।

पश्चात् सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.20 बजे स्थगित की जाकर 11.30 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

2 .पृच्छा

माननीय सदस्य श्री लखेश्वर बघेल ने बस्तर में किसान द्वारा आत्महत्या किये जाने संबंधी विषय पर स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग की ।

इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, माननीय सदस्य सर्वश्री भूपेश बघेल, रामकुमार यादव, कवासी लखमा, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्री विक्रम मण्डावी ने भी विचार व्यक्त किये ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने सत्र के आमंत्रण- पत्र में स्थगन, ध्यानाकर्षण आदि विषय पर सूचना लिए जाने का समावेश न होने के कारण, दिए गए स्थगन के आने पर पाइंट आफ आर्डर की मांग की ।

माननीय सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, ने भी अपने विचार व्यक्त किये ।

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- यह एक मान्य और सुव्यवस्थित संसदीय परम्परा है कि प्रथम सत्र में माननीय नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ कार्य रखा जाता है। शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण जैसी सूचनाएं नहीं ली जाती हैं। विधान सभा सत्र आहूत किए जाने की अधिसूचना के साथ, दिग्दर्शिका तथा पत्रक भाग-2 की प्रति संलग्न कर सभी सदस्यों को प्रेषित की जाती है। पत्रक भाग-2 में सत्रों की तिथि के साथ-साथ सत्र में मुख्य रूप से कौन-कौन सी सूचनाएं कब-कब विधानसभा सचिवालय में प्राप्त की जायेंगी, उनका उल्लेख किया जाता है। विधान सभा का गठन होने के बाद वाला प्रथम सत्र अल्प सूचना के आधार पर आहूत किया जाता है। इसकी परम्परा अनुसार माननीय सदस्यों को शपथ, राज्यपाल का अभिभाषण और अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाते हैं, इसलिए ऐसी अल्प सूचना में आहूत किए गए अल्पकालीन सत्र में प्रश्न, स्थगन, ध्यानाकर्षण, अशासकीय संकल्प, नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा जैसी सूचनाएं नहीं ली जाती है। सत्र के सम्बन्ध में जारी किए जाने वाले पत्रक भाग-2 में इसका उल्लेख नहीं किया जाता है। वैसे भी वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर तथा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। इन चर्चाओं पर सदस्य अपने विचार रख सकते हैं।

4. बहिर्गमन

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाते हुये सदन से बहिर्गमन किया गया ।

5. सदन को सूचना

सभा की कार्यवाही के दौरान सदस्यों हेतु लॉबी स्थित कार्यालय में मोबाईल फोन जमा करने एवं पावती प्राप्त करने संबंधी

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधान सभा का यह प्रथम सत्र है। मैं आप सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में मोबाईल फोन की घंटी बजने से या उसका उपयोग करने से सदन की कार्यवाही में व्यवधान उपस्थित होता है। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सभा में मोबाईल फोन का उपयोग किया जाना पूर्णतः वर्जित है, अतः माननीय मंत्रीगण और माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सभा भवन में मोबाईल फोन लेकर नहीं आयें और न ही मोबाईल फोन का उपयोग सभा में करें । छत्तीसगढ़ विधान आपकी अपनी सभा है, इस सभा की उच्च परम्परा रही है और विधान सभा के नियम और परम्परा का पालन करते रहे हैं । इस संबंध में विधान सभा सचिवालय के लॉबी स्थित सूचना कार्यालय में मोबाईल फोन जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है, जहां माननीय सदस्य अपना मोबाईल फोन जमा कर पावती प्राप्त कर सकते हैं। माननीय मंत्रीगण, माननीय सभी सदस्यों से इस पवित्र सदन की गरिमा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति दी गई ।

6. वित्तीय वर्ष 2023-2024 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है । अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 41, 44, 47, 55, 64, 65, 69,

80 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर बारह हजार नौ सौ बयानबे करोड़, सत्तर लाख, अनठानबे हजार, आठ सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री उमेश पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर द्वारा माननीय अध्यक्ष से व्यवस्था चाही गई कि प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा आपको संबोधित करते हुए आपके विगत 15 साल के कार्यकाल पर टिप्पणी करते हुए जो बार-बार "आपकी सरकार" शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, उसे आसंदी पर आक्षेप माना जाएगा या नहीं ?

इस संबंध में माननीय अध्यक्ष द्वारा पश्चात् व्यवस्था देने का उल्लेख किया ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, श्याम बिहारी जायसवाल, कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती गोमती साय, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती भावना बोहरा, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्री गजेन्द्र यादव,

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री विक्रम मण्डावी, लखन देवांगन, गुरु खुशवंत साहेब, श्री भूपेश बघेल,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

7. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- माननीय अजय चन्द्राकर जी द्वारा मेरा ध्यान आसंदी पर आरोप के परिप्रेक्ष्य में आकर्षित किया है । इस पवित्र सदन की आसंदी पर अध्यक्ष के रूप में एक गरिमामय दायित्व की जिम्मेदारी सभा द्वारा मुझे सौंपी गई है । मैं आप सभी सदस्यों से विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि तत्कालीन सरकार में प्रदेश के मुखिया के रूप में मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अपने पदेन दायित्व के निर्वहन के दौरान शासन द्वारा लिये

गये निर्णयों के बारे में सदन में चर्चा करते समय कृपया आप मेरे नाम का उल्लेख करने से बचेंगे तो संसदीय गरिमा और आसंदी की गरिमा के लिये उचित होगा । सदन में वॉक स्वतंत्रता आप सभी का अधिकार है, किन्तु मैं आप सभी से अपेक्षा करूंगा कि सभा की जो गरिमा है, वह आसंदी की गरिमा में है, इसलिये आसंदी की अवमानना या गरिमा के प्रतिकूल टिप्पणी सभा की उच्च संसदीय परिपाटियों के विपरीत होगी । कृपया आसंदी की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करें ।

8. वित्तीय वर्ष 2023-2024 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत,

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने चर्चा का उत्तर दिया ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने नेता प्रतिपक्ष, डॉ. चरणदास महंत द्वारा मुख्यमंत्री, माननीय श्री विष्णु देव साय द्वारा चर्चा का उत्तर देने के तुरंत पश्चात् प्रतिक्रिया दिए जाने के संबंध में व्यवस्था दिए जाने का अनुरोध किया गया ।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात कही। सामान्य प्रक्रिया है और उन्होंने अनुमति लेकर अपनी बात कही थी। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के भाषण के बाद अपनी बात संक्षिप्त में रख सकते हैं।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2023 (क्रमांक 15 सन् 2023)

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2023 (क्रमांक 15 सन् 2023) का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2023 (क्रमांक 15 सन् 2023) पर विचार किया जाये ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2023 (क्रमांक 15 सन् 2023) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

10. बधाई

मुख्यमत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार को प्रथम अनुपूरक बजट पास होने पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने अपने तथा अपने साथियों की ओर से मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं । माननीय सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, उमेश पटेल, ने भी बधाई एवं शुभकामनाएं दीं ।

11. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के संबंध में श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्नलिखित सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए :-

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत, सर्वश्री कवासी लखमा, उमेश पटेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री भोलाराम साहू, दलेश्वर साहू, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सर्वश्री ओंकार साहू, ब्यास कश्यप, अटल श्रीवास्तव, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सर्वश्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, बालेश्वर साहू, जनक ध्रुव, श्रीमती चातुरी नंद, श्रीमती विद्यावती सिदार

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव व संशोधनों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री दलेश्वर साहू,

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धरमलाल कौशिक, कवासी लखमा, पुन्नूलाल मोहले, श्रीमती संगीता सिन्हा,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से सभा का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री राम विचार नेताम, राघवेन्द्र कुमार सिंह, ओ.पी. चौधरी, रामकुमार यादव, अनुज शर्मा,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सुश्री लता उसेन्डी

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री अटल श्रीवास्तव, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने चर्चा का उत्तर दिया ।
समस्त संशोधनों पर एक साथ मत लिया गया ।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

12.सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

षष्ठम् विधानसभा के प्रथम सत्र के समापन अवसर पर मैं सदन को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं । यह सत्र 19 दिसंबर से 21 दिसंबर के मध्य आहूत रहा । इस सत्र में माननीय नव निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के अलावा माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण एवं नयी सरकार का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत और पारित हुआ।

इस अवसर पर मै सर्वप्रथम सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरण दास महंत जी एवं द्वय उपमुख्यमंत्री माननीय श्री अरूण साव जी एवं माननीय श्री विजय शर्मा जी एवं सभापति तालिका के सदस्य सहित पक्ष प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सदन के सुव्यवस्थित संचालन में मुझे अपना सहयोग प्रदान किया।

मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन नामांकन में पक्ष-प्रतिपक्ष के मध्य जो समन्वय और सद्भाव दिखा, मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय वातावरण के भविष्य के लिए यह एक शुभ संकेत है। पक्ष-प्रतिपक्ष के आप माननीय सदस्यगणों ने अपने संसदीय व्यवहार एवं विचार से जो उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है उससे लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक मजबूती मिली है।

आप माननीय सदस्यों से मैं यह विशेष तौर पर आग्रह करता हूँ कि इस ससंदीय सदन की मर्यादा और सम्मान आपके कार्य, विचार एवं व्यवहार पर ही निर्भर है । आशा करता हूं आप सभी इन बातों को भली भांति समझते हैं और भविष्य में भी आपके कार्यों से संसदीय परंपरा को और अधिक मजबूती मिलेगी।

नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आप के संसदीय ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में प्रबोधन कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम की सूचना आपको तिथि निर्धारण के पश्चात् सूचित की जा सकेगी। नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ-साथ सभी माननीय सदस्यों से मेरा यह भी आग्रह है आप विधानसभा वेबसाईट का उपयोग विधानसभा से संबंधित जानकारी के लिए कर सकते हैं। साथ ही विधानसभा सचिवालय स्थित पुस्तकालय भी आपके अध्ययन के लिए उपलब्ध है आप जितना अधिक संसदीय विषयों का अध्ययन करेंगे उतना ही आपका ज्ञान संवर्धित होगा।

इस सत्र में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के कृतज्ञता प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसमें नये एवं पुराने सदस्यों ने सारगर्भित ढंग से अपनी बात रखी । इस सत्र में नयी सरकार का प्रथम अनुपूरक प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा पश्चात् प्रस्ताव पारित हुआ। वित्तीय विषय की इस चर्चा में पक्ष प्रतिपक्ष के आप माननीय सदस्यों ने बहुत ही सुन्दर ढंग से आपके द्वारा विषय का प्रतिपादन किया गया। मुझे इस बात का हार्दिक संतोष है कि परमात्मा ने मुझे एक ऐसे विधायी सदन के अध्यक्ष पद पर आसीन होने का अवसर दिया जिस सदन का प्रत्येक सदस्य अपनी दलीय प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर संसदीय और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है। मै आप सभी माननीय सदस्यों की संसदीय सुधी का अभिनंदन करता हूँ वैसे तो यह आप जानते हैं कि नयी विधानसभा गठन के बाद प्रथम सत्र औपचारिक सत्र होता है। बावजूद इसके हमारे लिए यह उपलब्धि है कि इस सत्र में राज्य की जनता के हित से जुड़े प्रत्येक विषयों पर आप सदस्यों नें सारगर्भित सम्यक चर्चा की और आशा करता हूं कि आने वाले सत्रों में भी आप सभी छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए संकल्पित होकर राज्य के हित

के लिए अपना योगदान देंगे और राज्य के सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था विधानसभा का सम्मान उत्तरोत्तर बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

इस अवसर पर मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया।

इस सत्र के समापन अवसर पर मैं राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं । सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था इस सत्र के दौरान कायम रखी। मैं विधान सभा के सचिव सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की तिथियों की घोषणा की परंपरा रही है । तद्नुसार आगामी सत्र फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में आहूत होने की संभावना है। आने वाले अंग्रेजी नव वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आपके एवं प्रदेशवासियों के सुखमय समृद्धशाली जीवन की कामना करता हूं । आईये, हम सब मिलकर अपने छत्तीसगढ़ राज्य को समग्र उन्नति के शीर्ष पर पहुंचाने का पुनीत संकल्प लें।

जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़

धन्यवाद !

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त किये ।

13. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण-मन का गायन किया गया)

रात्रि 8.20 बजे, विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा